न्यायालय सहायक कलक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री सक्षम गोयल, आई.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
01/2024	दावा 88 आर.टी.ए.	05.01.2024	12.03.2024

1. मनीषा पुत्री मेघाराम जाति जाट निवासी ग्राम झारिया तहसील व जिला चूरू हाल निवासिनी पत्नी श्री खिराजाराम ग्राम लालासर बणीरोतान तहसील व जिला चूरू राज.
2. बबीता पुत्री श्री मेघाराम जाति जाट निवासी ग्राम झारिया तहसील व जिला चूरू हाल निवासिनी पत्नी श्री रोहिताश ग्राम लालासर बणीरोतान तहसील व जिला चूरू

—वादी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

—प्रतिवादी—

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र बुडानियां एडवोकव वादी
2. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है।

वादीगण के नाम वादगत कृषिभूमि रोही ग्राम चन्देलनगर खसरा नम्बर 423 महेन्द्र कुमारी व बादू अंकित है जबकि वास्तविक दस्तावेजी मनीषा व बबीता है। उक्त नाम घर पर बोले जाने वाले नाम होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो गये हैं।

दावा न्यायाल के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई जिस पर तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार महेन्द्र कुमारी पुत्री मेघाराम एवं मनीषा पुत्री मेघाराम जाति जाट एक ही मजिला के नाम है व बादु पुत्री मेघाराम एवं बबीता पुत्री मेघाराम जाति जाट एक ही महिला के नाम । जांच रिपोर्ट को पत्रावली में शामिल किया जाकर अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस में अधिवक्ता वादी ने दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए महेन्द्र कुमारी के स्थान पर मनीषा एवं बादु के स्थान पर बबीता किये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया गया। वादीनीगण के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि में नाम मनीषा एवं बबीता ही है। वादगत कृषिभूमि रोही ग्राम चन्देलनगर खसरा नम्बर 423 के राजस्व रिकॉर्ड में नाम महेन्द्र कुमारी व बादु है।

वादगत कृषि भूमि वादीगण की [illegible] है। रिपोर्ट तहसीलदार चूरू के अनुसार महेन्द्र कुमारी व म[illegible] है तथा बादू व बबीता एक ही महिला का नाम है वादीगण [illegible] है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं जांच [illegible] आधार पर वादीगण का [illegible]चित प्रतीत होता है। वादगत कृषि भूमि वाके रोही चन्देलन[illegible] के राजस्व रिकार्ड में [illegible] के नाम गलत दर्ज चले आ रहा है जिसको सही व दस्तावेजों के अनुरूप दर्ज करवाने के लिए वादी ने यह दावा प्रस्तुत किया है तथा इस प्रकार के संशोधन से राज्य सरकार को कोई हानि

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:57:24 IST
Reason: SelfAttested

होने की सम्भावना नहीं है। साथ ही इस प्रकार के संशोधन से सह खातेदारों के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी नहीं है। इस प्रकार वादीगण का दावा उचित होने से स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

निर्णय

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी का दावा स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि खसरा संख्या 423 रोही ग्राम चन्देलनगर तहसील व जिला चूरू के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के अंकित नाम महेन्द्रकुमारी के स्थान पर मनिषा व बादू के स्थान पर बबीता घोषित किया जाता है।

तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे।

आदेश आज दिनांक 12.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सक्षम गोयल I.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्टेट
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:57:24 IST
Reason: SelfAttested